Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 14/115

1. लटूर आत्मज केदार
2. सीताराम आत्मज केदार
3. पुरूषोत्तम आत्मज केदार
4. महावीर आत्मज केदार जाति मीणा निवासी ग्राम बराना तहसील दीगोद जिला कोटा।
5. रामचरण आत्मज बैजनाथ ।
6. रामविलास आत्मज बैजनाथ ।
7. रघुनाथ आत्मज गोबरिया
8. अमर लाल आत्मज गोबरिया
9. हरिश चन्द्र आत्मज गोबरिया जाति मीणा निवासी ग्राम बराना तहसील दीगोद जिला कोटा ।

—अपीलार्थी

बनाम

मूर्ति श्री बडे मथुरेश जी विराजमान पाटनपोल कोटा सदैव नाबालिग जरिये स्थाई सरंक्षक अधिकारी श्री बडे मथुरेश जी टेम्पल बोर्ड, कोटा ।

—प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.04.2012 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा ।

वाद संख्याः 353/दावा/2009

मूर्ति श्री बडे मथुरेश जी विराजमान पाटनपोल कोटा सदैव नाबालिग जरिये स्थाई सरंक्षक अधिकारी श्री बडे मथुरेश जी टेम्पल बोर्ड, कोटा ।

——वादी

बनाम

1. बैजनाथ पुत्र गोबरिया जाति मीणा निवासी ग्राम बराना तहसील दीगोद जिला कोटा ।
2. रघुनाथ पुत्र गोबरिया जाति मीणा निवासी ग्राम बराना तहसील दीगोद जिला कोटा ।
3. अमर लाल पुत्र गोबरिया जाति मीणा निवासी ग्राम बराना तहसील दीगोद जिला कोटा ।
4. हरिश चन्द्र आत्मज गोबरिया जाति मीणा निवासी ग्राम बराना तहसील दीगोद जिला कोटा

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.04.2012 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 27.11.2018 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री ओम प्रकाश प्रजापति एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.04.2012 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 27.11.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

27.11.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 14/115

1. लटूर आत्मज केदार
2. सीताराम आत्मज केदार
3. पुरूषोत्तम आत्मज केदार
4. महावीर आत्मज केदार जाति मीणा निवासी ग्राम बराना तहसील दीगोद जिला कोटा।
5. रामचरण आत्मज बैजनाथ ।
6. रामविलास आत्मज बैजनाथ ।
7. रघुनाथ आत्मज गोबरिया
8. अमर लाल आत्मज गोबरिया
9. हरिश चन्द्र आत्मज गोबरिया जाति मीणा निवासी ग्राम बराना तहसील दीगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. मूर्ति श्री बडे मथुरेश जी विराजमान पाटनपोल कोटा सदैव नाबालिग जरिये स्थाई सरंक्षक अधिकारी श्री बडे मथुरेश जी टेम्पल बोर्ड, कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री ओम प्रकाश प्रजापति, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 27.11.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.04.2012 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बाक्या तहसील दीगोद में आराजी खसरा नम्बर 22 की 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 66 की 0.76 हैक्टर कुल 1.11 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी प्रतिमा श्री बडे मथुरेश जी के नाम खातेदारी में दर्ज है । उक्त भूमि पूर्व में हवाला काश्त में थी । माफी रिज्यूम होने के पश्चात् वादी मूर्ति इस भूमि की खातेदार कृषक है । उक्त भूमि पर वादी की स्वीकृति से प्रतिवादीगण काबिज थे । वादी ने प्रतिवादीगण से उक्त भूमि से कब्जा छोडने के लिए कहा परन्तु उन्होंने वादी को कब्जा नहीं संभलाया है । प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर बतौर अतिक्रमी

काबिज हैं जो काबिल बेदखली हैं। मूर्ति सदैव नाबालिंग है। मूर्ति की खातेदारी की भूमि पर मूर्ति के अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को मूर्ति की ओर से ही काबिज कानूनन माना गया है ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार कर प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर वादी को दखल दिलवाने व नियमानुसार हर्जा दिलवाये जाने हेतु वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री पारित की जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.04.2012 के द्वारा दावा वादी स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा वादी को संभलाये जाने तथा उक्त भूमि पर कब्जा दिलाये जाने तक प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी पर वार्षिक लगान का 15 गुना सालाना हर्जाने के रूप में वादीगण को दिये जाने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.04.2012 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकार बैजनाथ की दिनांक 14.04.2006 को मृत्यु हो चुकी थी । इनके कायममुकामान रिकॉर्ड पर नहीं लिये गये । मृत व्यक्ति के खिलाफ निर्णय पारित किया है । अपीलान्ट क्रम 1 लगायत 4 का कब्जा है जिन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है । अपीलान्ट का उक्त आराजी पर पीढी दर पीढी कब्जा चला आ रहा है । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा है जिसे वादी ने भी स्वीकार किया है, दावा डिफेक्टिव है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.04.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी । वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट पिछले 50–60 वर्षो से बहैसियत मालिक काबिज काश्त चले आ रहे हैं और वह कानूनन उक्त भूमि के खातेदार हो गये हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्ति बैजनाथ के विरूद्ध भी निर्णय पारित किया है । बैजनाथ की वर्ष 2006 में ही मृत्यु हो चुकी थी । इस प्रकार उक्त निर्णय मृत व्यक्ति के लिखाफ होने से निरस्तनीय है । अपीलान्ट क्रम 1 से 4 ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट क्रम 1 से 4 का कब्जा है । इस कारण अपीलान्ट क्रम 1 से 4 अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार हैं जिनको अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है । अतः अपीलान्ट को अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.04.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलान्ट बैजनाथ की मृत्यु वर्ष 2006 में होना बताते हैं परन्तु अधीनस्थ न्यायालय में उनके द्वारा इन तथ्यों की जानकारी नहीं दी गई । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी क्रम 3, 4 व 2 की आरे से वकालतनामा भी पेश किया गया था । उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी कि अधीनस्थ न्यायालय

में बैजनाथ की मृत्यु की जानकारी देते । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.04.2012 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नकल जमाबन्दी संवत् 2061 से 2061 प्रदर्श– 1 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम बांक्या की नया खाता संख्या 84 की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 22 की 0.35 हैक्टर, खसरा नम्बर 66 की 0.76 हैक्टर कुल 1.11 हैक्टर भूमि वादी मथुराधीश जी बडा मंदिर ठिकाना कोटा के नाम खातेदारी में दर्ज है ।

10. वादी की ओर से गवाह पीडब्ल्यू डी– 1 नवीन चन्द्र कराए गये हैं ।

11. अपीलान्ट क्रम 1 से 4 के लायक अधिवक्ता ने न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का पेश कर कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी पर उनका कब्जा है और अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा उनको पक्षकार नहीं बनाया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की बेदखली की डिक्री उनके ऊपर लागू नहीं होगी वरन् प्रतिवादीगण पर लागू होगी जिनको अधीनस्थ न्यायालय में वादी ने पक्षकार बनाया है । अधीनस्थ न्यायालय की बेदखली की डिक्री से वे प्रभावित पक्षकार नहीं है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट क्रम 1 से 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी खारिज किया जाता है ।

12. अपीलान्टगण ने दूसरी आपत्ति यह कि है कि प्रतिवादी क्रम 1 बैजनाथ की मृत्यु वर्ष 2006 में हो चुकी थी । मृत व्यक्ति के खिलाफ निर्णय पारित किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय में दावा सन् 2007 में पेश किया गया है और रेस्पोडेन्ट 7 से 9 जो कि बैजनाथ के भाई हैं उनके द्वारा वकालतनामा दिनांक 12.12.2007 को पेश किया गया था। ऐसी स्थिति में इनका भी यह उत्तरदायित्व था कि अधीनस्थ न्यायालय को समय रहते बैजनाथ की मृत्यु की जानकारी देते। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट क्रम 7 से 9 के द्वारा जवाबदावा पेश नहीं किया गया है ओर न ही कोई साक्ष्य पेश की है । बैजनाथ की मृत्यु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.04.2012 पारित होने से पूर्व ही हो चुकी है तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री उनके उत्तराधिकारियों पर लागू नहीं होगा वरन् शेष प्रतिवादीगण क्रम 2 से 4 पर लागू होगा । वादग्रस्त आराजी मूर्ति मंदिर के खातें की भूमि है जो शास्वत नाबालिग होता है । अपीलान्टगण क्रम 1 से 4 अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे । इसी प्रकार बैजनाथ के वारिसान अपीलान्ट क्रम 5 एवं 6 अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे इन पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित बेदखली की डिक्री लागू नहीं होगी शेष रेस्पोडेन्ट क्रम 7 से 9 के लिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री प्रभावी रहेगी ।

13. इन तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.04.2012 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 27.11.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/11/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा